भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 312

जिसका उत्तर 3 फरवरी, 2021 को दिया जाना है।

14 माघ, 1942 (शक)

आधार कार्ड

312. श्री रघु राम कृष्ण राजू :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देशभर के नागरिकों को यूआईडीएआई कार्ड प्रदान करने के कार्य को पूरा करने में सक्षम रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) लोगों के नामांकन में सरकार द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि लोगों के बीच आधार नामांकन केंद्रों के बारे में बहुत कम जागरूकता है और यदि हां, तो इन केंद्रों के बारे में बहुत कम जागरूकता है और यदि हां, तो इन केंद्रों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए किए जा रहे हैं;

(ड.) क्या सरकार ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि प्रमाणीकरण के लिए राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस की तुलना में आधार कार्ड अभी भी केवल एक अतिरिक्त दस्तावेज माना जाता है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री संजय धोत्रे)

(क) से **(घ)** : जी, हां। आधार (वित्तीय एवं अन्य इमदादों, लाभों और सेवाओं की लक्षित डिलीवरी) अधिनियम, 2016 एक ऐसा अधिनियम है जिसमें सुशासन, इमदादों, लाभों और सेवाओं की सक्षम, पारदर्शी और लक्षित डिलीवरी का प्रावधान है, जिसके लिए व्यय भारत की समेकित निधि अथवा राज्य की समेकित निधि से भारत में रहने वाले व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जिसके लिए ऐसे व्यक्तियों को विशिष्ट पहचान संख्या (आधार संख्या) निर्दिष्ट की जाती है।

कोई भी व्यक्ति जो भारत में बारह महीनों में कुल मिलाकर एक सौ ब्यासी दिन या इससे अधिक की अवधि के लिए रहा है जो नामांकन के आवेदन की तारीख से तत्काल पहले है अथवा ऐसे एनआरआई जिनके पास वैध भारतीय पासपोर्ट है, वे देश के भीतर नामांकन केंद्र में वैध दस्तावेज उपलब्ध कराने पर आधार के नामांकन के पात्र हैं।

15 जनवरी, 2021 की स्थिति के अनुसार लगभग 137.05 करोड़ की अनुमानित जनसंख्या (2020) की तुलना में कुल 127.83 करोड़ आधार का सृजन किया गया है। किंतु, आधार धारकों की वास्तविक संख्या मृत्यु के कारण कम हैं। इसलिए "लाइव आधार" की अवधारणा प्रस्तुत की गई है ताकि ऐसे आधार धारकों की संख्या का आकलन किया जा सके जो जीवित हैं। अनुमान है कि 'लाइव आधार' की संख्या 123.49 करोड़ है। समग्र रूप से देश में आधार (लाइव) संतृप्ति 90.11% है।

15 जनवरी, 2021 की स्थिति के अनुसार 50,000 से अधिक आधार पटल चालू हैं, जिनमें राज्य पंजीयकों के 23,706, बैंकों के 11,270, इंडिया पोस्ट के 10,003, सीएससी ईगव के 4,617, यूआईडीएआई आधार सेवा केंद्रों के 488, बीएसएनएल के 370 और यूटीआईआईटीएसएल के 20 पटल शामिल हैं।

आधार नामांकन और अद्यतन केंद्रों के ब्यौरे आम जनता के लिए यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट पर लिंक http://appointments.uidai.gov.in/easearch.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1 और एमआधार एप पर उपलब्ध कराए गए हैं। केंद्र के बारे में जागरूकता फैलानेके लिए यूआईडीएआई सतत रूप से सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों के जरिए जानकारी उपलब्ध करा रहा है।

(ङ.) और **(च)** : आधार संख्या 12 अंकों की पहचान संख्या है जो आधार संख्या धारक को उसकी पहचान स्थापित करने में सक्षम बनाती है।

आधार (वित्तीय एवं अन्य इमदादों, लाभों और सेवाओं की लक्षित डिलीवरी) अधिनियम, 2016 की धारा 4(3) के अनुसार प्रत्येक आधार संख्या धारक अपनी पहचान को स्थापित करने के लिए स्वेच्छा से अपनी आधार संख्या का इस्तेमाल अधिप्रमाणन अथवा ऑफलाइन सत्यापन अथवा ऐसे किसी भी अन्य अधिसूचित रूप में विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से वास्तविक रूप से अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर सकता है ।

अधिनियम की धारा 4(6) में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक अनुरोधकर्ता संगठन जिसे अधिनियम की धारा 4(3) के अंतर्गत किसी आधार संख्या धारक द्वारा अधिप्रमाणन के लिए अनुरोध किया गया है, आधार संख्या धारक को पहचान के वैकल्पिक अथवा व्यावहारिक माध्यमों की जानकारी देगा तथा अधिप्रमाणन के लिए मना करने या असमर्थ होने पर किसी भी सेवा की मनाही नहीं करेगा।

इसके अलावा, अधिनियम की धारा 4(7) के अनुसार किसी भी सेवा के प्रावधान के लिए आधार संख्या धारक का अनिवार्य अधिप्रमाणन तभी किया जाएगा यदि ऐसा अधिप्रमाणन संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा अपेक्षित है।

****